न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—54 / 2019 / 225 (2019 / 00054)

1. जड़ाव पत्नी बलदेव,
2. गोपाल पुत्र बलदेव,
3. बद्री पुत्र बलदेव,
4. बदाम पत्नी हरदेव,
5. हीरालाल पुत्र हरदेव,
6. हेमराज पुत्र हरदेव,

समस्त जाति जाट, निवासी काचरिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामनिवास जाट, जाति जाट, निवासी श्यामपुरा, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 28.1.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 54 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांकः— 28.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 28.1. 2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम काचरिया, तहसील केकड़ी में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 637, 820, 893, 894, 1209, 1210, 1215, 1218, 1221, 1224, 1226, 1228, 1230, 1726, 1897 कुल किता 15 कुल रकबा 3.26 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात है । विवादित आराजियात से अप्रार्थी / अपीलांट का कोई संबंध नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थी प्रार्थी को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.1.2019 द्वारा प्रार्थी / रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी / अपीलांट को इस अस्थायी निषेधाज्ञा

से पाबंद किया कि वे ताफैसला वाद प्रार्थी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही उनके कब्जा काश्त स्वामित्व में किसी प्रकार की दखल करे एवं आराजियात को खुर्द–बुर्द इत्यादि नहीं करे तथा अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । कजोड़ पुत्र मेदा के चार पुत्र थे तथा उसकी आराजी ग्राम श्यामपुरा में स्थित है जिसमें कजोड़ पुत्र मेदा की विरासत से उसके पुत्र श्योनारायण, रामनिवास, रामकुमार व बालू के नाम दर्ज है । रामनिवास पुत्र कजोड़ जो रेस्पो0 का पिता है, उसकी आराजियात में भी एकमात्र रामेश्वर रेस्पो0 के नाम विरासत का नामांतकरण बंटवारा डिक्री न्यायालय से दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि रामनिवास जो रामकिशन का पुत्र नहीं है बल्कि कजोड़ का पुत्र है । उक्त बिन्दु पर अधी0नयाया0 ने गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलांट की पुश्तैनी आराजियात है जो अपीलांटस को उनके पिता रामकिशन व माता नन्दू की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियां को विधिक रूप से प्राप्त हुई है एवं अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात पर बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे है । रामकिशन की पुत्रियां अकाम व भूला का भी वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है जिन्हें वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस कारण भी विपक्षी का प्रार्थना पत्र काबिज निरस्त योग्य था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व अस्थायी निषेधाज्ञा के ती बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपार क्षति के बिन्दुओं पर कतई गौर नहीं किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अपीलांटस/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज किया जाना अंकित किया है जबकि धारा 212 के प्रकरण में इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात है । विवादित आराजियात से अप्रार्थी/अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजियात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी किये जाने पर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । काउण्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत व मनगढ़ंत है । वादवर्णित आराजियात रामकिशन पुत्र मेदा की नहीं है तथा कभी भी रामकिशन पुत्र मेदा की खातेदारी में नहीं रही है बल्कि प्रार्थी/रेस्पो0 के पिता व उनकी मृत्यु उपरांत प्रार्थी/रेस्पो0 के कब्जे काश्म में चली आ रही है । अपीलांट के पिता के दादा का नाम कजोड़ पुत्र मेदा है तथा वादग्रस्त आराजियात रामनिवास के नाम चली आ रही थी न कि रामकिशन के नाम । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा

काउण्टर प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा इसके विपरीत अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 28.1.2019 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये है।

7. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 विवादित भूमि स्वंय की खातेदारी की होना बताकर स्वंय का कब्जा होने का कथन कर रहे है वहीं दूसरी ओर अपीलांटस/अप्रार्थीगण विवादित आराजियात को स्वंय की खातेदारी की होना बताकर काबिज काश्तकार होने का कथन कर रहे है । विवादित आराजियात में अपीलांटस/अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का क्या हक व अधिकार है इन सब तथ्यों का निर्धारण बाद साक्ष्य वाद में किया जावेगा किन्तु वर्तमान में केवल मात्र अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलांटस ने भी अधी0न्याया0 के समक्ष काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजियात पर स्वंय का कब्जा काश्त होने का कथन किया है । प्रकरण की स्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अधी0न्याया0 को उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.1.2019 निरस्त किया जाता है तथा उभयपक्ष को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक–दूसरे के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करेगें तथा विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर